भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2597
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता

2597. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :

डॉ. डी. एन. वी. सेथिल कुमार एस :

डॉ. सुभाष रामराव भामरे :

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :

श्री कुलदीप राय शर्मा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में शामिल प्राधिकरणों/संस्थानों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार का राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) सहित इन प्राधिकरणों संस्थानों को मजबूत बनाने का विचार है और यदि हा, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक और वर्तमान वर्ष के दौरान एनएएलएसए सहित इन प्राधिकरणों/संस्थानों द्वारा आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास एनएएलएसए सहित इन प्राधिकरणों/संस्थानों के कार्यकरण/कार्य-निष्पादन की निगरानी हेतु कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने न्याय बंधु (निःशुल्क विधिक सेवाएं) कार्यक्रम भी आरम्भ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके अंतर्गत कितने निःशुल्क अधिवक्ताओं और लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण/संस्थान स्थापित किए गए हैं:-

i. राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ।

ii. उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी) ।

iii. उच्च न्यायालय स्तर पर 39 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ (एचसीएलएससी) ।

iv. राज्य स्तर पर 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) ।

v. जिला स्तर पर 703 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ।

vi. तालुक स्तर पर 2341 तालुक विधिक सेवा समितियाँ (टीएलएससी) ।

(ख) और (ग) : सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरणों/संस्थानों को मजबूत करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में सभी सहायता प्रदान करती है । सरकार द्वारा अनुदान सहायता के अधीन वार्षिक आधार पर एनएएलएसए को धनराशि आबंटित और जारी की जाती है । सरकार द्वारा एनएएलएसए को पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः 100 करोड़ रु., 145 करोड़ रु. और 190 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता देश भर में मुफ्त विधिक सहायता, लोक अदालत, विधिक जागरूकता कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न विधिक सहायता क्रियाकलापों के लिए आबंटित/जारी किए गए हैं । चालू वर्ष अर्थात् 2023-24 के लिए, एनएएलएसए को 200 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता आबंटित की गई हैं जिसमें से सरकार द्वारा अब तक 50 करोड़ जारी किए जा चुके हैं । पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एनएएलएसए द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों को आबंटित धनराशि का विवरण **उपाबंध-क** पर है ।

(घ) : विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए, एनएएलएसए को सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) से मासिक क्रियाकलाप रिपोर्ट प्राप्त होती है, जिसमें किसी विशेष महीने में की गई सभी क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला जाता है । इसके पश्चात्, एनएएलएसए द्वारा मासिक आधार पर एक अंतिम क्रियाकलाप रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है, जिसकी समीक्षा और संकलन किया जाता है । मासिक क्रियाकलाप रिपोर्ट के अतिरिक्त्, एनएएलएसए सभी एसएलएसए से भी वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सहायता के कामकाज का आंकलन करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त्, एनएएलएसए द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए अक्सर अखिल भारतीय बैठकें और क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं । इसके अतिरिक्त्, विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर एनएएलएसए और न्याय विभाग के प्रतिनिधियों के बीच नियमित बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ।

(ङ) और (च) : जी हां । सरकार ने प्रो-बोनो की संस्कृति को आगे बढ़ाने और देश भर में प्रो-बोनो विधिक सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज) शुरू किया है । यह विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क प्रो-बोनो अधिवक्ताओं से जोड़ता है । कार्यक्रम के अधीन, विधिक प्रो-बोनो कार्य करने में रुचि रखने वाले व्यवसायरत अधिवक्ता, प्रो-बोनो (निःशुल्क) विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र सीमांत लाभार्थियों के

साथ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं । 30 जून, 2023 तक, न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन पर कुल 10231 अधिवक्ता रजिस्ट्रीकृत थें और 1870 लाभार्थी प्रो बोनो अधिवक्ता की सेवा का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रीकृत थें ।

****

उपाबंध 1

संसद् सदस्य श्री अमोल रामसिंह कोल्हे और अन्य द्वारा पूछे गए "गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता" से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2597, जिसका उत्तर 04.08.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरणः-

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवंटित निधियों को दर्शाने वाले विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (12.07.2023तक)
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	5,00,000	0
2	आंध्र प्रदेश	3,40,00,000	5,00,00,000	4,65,00,000	0
3	अरुणाचल प्रदेश	1,00,00,000	1,40,00,000	5,00,00,000	1,50,00,000
4	असम	3,70,00,000	6,40,00,000	7,40,00,000	2,00,00,000
5	बिहार	3,70,00,000	7,60,00,000	9,25,00,000	1,75,00,000
6	चंडीगढ़	80,00,000	55,00,000	60,00,000	25,00,000
7	छत्तीसगढ़	3,95,00,000	5,25,00,000	6,65,00,000	2,00,00,000
8	दादरा और नागर हवेली	2,50,000	0	10,00,000	0
9	दमण और दीव	2,50,000	0	0	5,00,000
10	दिल्ली	5,00,00,000	9,30,00,000	12,25,00,000	0
11	गोवा	50,00,000	15,00,000	45,00,000	25,00,000
12	गुजरात	3,45,00,000	5,75,00,000	8,80,00,000	2,00,00,000
13	हरियाणा	4,50,00,000	6,50,00,000	7,60,00,000	1,50,00,000
14	हिमाचल प्रदेश	1,85,00,000	2,45,00,000	3,90,00,000	1,25,00,000
15	जम्मु-कश्मीर	3,50,00,000	4,65,00,000	6,60,00,000	2,00,00,000
16	झारखंड	4,00,00,000	7,35,00,000	7,00,00,000	2,00,00,000
17	कर्नाटक	6,25,00,000	7,50,00,000	9,20,00,000	2,00,00,000
18	केरल	5,25,00,000	9,90,00,000	8,00,00,000	0
19	लद्दाख	0	65,00,000	45,00,000	10,00,000
20	लक्षद्वीप	0	0	5 ,00,000	0
21	मध्य प्रदेश	3,00,00,000	5,00,00,000	7,40,00,000	2,50,00,000
22	महाराष्ट्र	6,25,00,000	8,25,00,000	9,60,00,000	0
23	मणिपुर	1,00,00,000	1,05,00,000	1,90,00,000	50,00,000
24	मेघालय	50,00,000	50,00,000	2,60,00,000	0
25	मिजोरम	50,00,000	1,15,00,000	2,15,00,000	35,00,000
26	नागालैंड	50,00,000	1,15,00,000	2,75,00,000	0
27	ओडिशा	3,25,00,000	4,25,00,000	7,60,00,000	1,50,00,000
28	पुडुचेरी	10,00,000	20,00,000	92,00,000	0
29	पंजाब	3,25,00,000	6,40,00,000	6,16,00,000	1,75,00,000
30	राजस्थान	4,55,00,000	7,00,00,000	8,40,00,000	1,75,00,000
31	सिक्किम	50,00,000	65,00,000	1,65,00,000	30,00,000
32	तमिलनाडु	4,20,00,000	6,00,00,000	8,10,00,000	2,00,00,000
33	तेलंगाना	3,50,00,000	4,10,00,000	5,05,00,000	2,00,00,000
34	त्रिपुरा	2,80,00,000	2,65,00,000	3,40,00,000	75,00,000
35	उत्तर प्रदेश	6,50,00,000	6,00,00,000	11,80,00,000	2,50,00,000
36	उत्तराखंड	2,50,00,000	2,55,00,000	3,55,00,000	75,00,000
37	पश्चिमी बंगाल	5,20,00,000	7,00,00,000	8,80,00,000	1,75,00,000
38	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	1,00,00,000	1,00,00,000	90,00,000	0
39	मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति	0	0	1,25,00,000	0
	कुल	**1,00,00,00,000**	**1,45,30,00,000**	**1,92,08,00,000**	**37,05,00,000**

****